न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 39/18(223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00313

उनवान

श्रीराम पुत्र समय सिंह जाति गूजर निवासी ग्राम चकचेलुआ तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. अग्गा पुत्र जग्गी
2. जतन पुत्र जग्गी
3. भरतू पुत्र जग्गी (मृतक)
   3/1. श्रीमती इन्द्रा वेवा भरतू
   3/2. प्रकाश पुत्र भरतू
   3/3. अनीता पुत्री भरतू
4. गुड्डी पत्नि घूडे उर्फ खुन्डे जाति गूजर निवासी चकचेलुआ तहसील नगर
5. बबीता पुत्री घूडे उर्फ खुन्डे
6. राजू उर्फ राजवीर पुत्र घूडे उर्फ खुन्डे
7. जयवीर पुत्र घूडे उर्फ खुन्डे

   } अवयस्क जरिये संरक्षक माता गुड्डी

8. उदयराम पुत्र जग्गी
9. राधे पुत्र जुगल
10. गोपाल पुत्र जुगल
11. हरवीर पुत्र जुगल
12. रामहंस पुत्र जुगल
13. महावीर पुत्र जुगल
14. रामअवतार उर्फ रामू पुत्र जुगल
15. अजमन्ता पत्नि जुगल
16. हरवत पुत्री जुगल
17. निहाल पुत्र मूला
18. जमवती पुत्री जुगल
19. भमरी पुत्र मूला
20. मटोल पुत्र परती
21. उदय सिंह पुत्र परती
22. लक्ष्मण पुत्र परती
    समस्त जाति गूजर निवासी चकचेलुआ तहसील नगर जिला भरतपुर।
23. एस बी आई बैंक थून
24. तहसीलदार तहसील नगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (सहायक कलक्टर) नगर दिनांक 28.09.2018 मि.नं. 52/2011 उनवानी श्रीराम बनाम अग्गा व अन्य।

उपस्थितिः–

1. श्री समय सिंह व श्यामबाबू सेठी वकील अपीलांट।
2. श्री राजेश गुप्ता व मनोज कुमार वकील रैस्पो0।

निर्णय

दिनांक–08.06.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (सहायक कलक्टर) नगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी द्वारा एक वाद विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 55/0.50 साविक नं0 44 रकवा 01 बीघा 18 विस्वा व 45 रकवा 01 बीघा 18 विस्वा तथा हाल खसरा नम्बर 36/1ण्22 साविक व 28 रकवा 03 बीघा 18 विस्वा दौराने सैटिलमेंट कायम किये गये हैं। हाल खसरा नम्बर 55/0.50 वादी/अपीलाण्ट की पैतृक सम्पत्ति है जो दौराने सैटिलमेंट साविक खसरा नम्बर 44 रकवा 01 बीघा 18 विस्वा व 45 रकवा 01 बीघा 18 विस्वा किता 2 रकवा 3 बीघा 16 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 55/0.50 बनाया गया है जो कि साविक रकवा के मुताबिक 0.11 है0 हाल राजस्व रिकार्ड कम दर्ज किया है और प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 11 के रकवे में मिला दिया गया जबकि प्रतिवादीगण का हाल नंम्बर 36/1.22 साविक खसरा नम्बर 28 रकवा 03 बीघा 16 विस्वा कायम हुआ है जिसका कुल रकवा 0.62 है0 होना चाहिये था परन्तु हाल राजस्व रिकार्ड में 1.22 है0 दर्ज कर रखा है। जबकि वादी का रकवा मौके पर पूरा है तथा वादी 0.61 है0 रकवे पर काश्त कर रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्ताानुसार रकवे की कमी पूर्ति का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। सुयोग्य अदालत तहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है जो अखण्डनीय है

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

और जिसके संबंध में प्रतिवादी रैस्पो0 ने ना तो अपना कोई जवाब ना ही वादी के गवाहन से जिरह की ना ही अपनी ओर से कोई साक्ष्य पेश की है। इस प्रकार प्रतिवादी रैस्पो0 के उक्त कन्डक्ट से यह जाहिर है कि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में साविक रकवा से अधिक की प्रवृष्टिया चल रही है वह मौके व राजस्व रिकार्ड के विपरीत है और सुयोग्य अदालत तहत ने इस तथ्य पर गौर ना करने में भारी तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि की है। पत्रावली पर यह तथ्य निर्विवाद रूप से है कि आराजी खसरा नम्बर 55/0.50, साविक खसरा नंबर 44 रकवा 01 बीघा 18 विस्वा व 45 रकवा 01 बीघा 18 विस्वा तथा आराजी खसरा नम्बर 36/1.22 साविक खसरा नम्बर 28 रकवा 03 बीघा 18 विस्वा से दौराने सैटिलमेंट कायम किये गये हैं। हाल खसरा नम्बर 55/0.50 अपीलाण्ट की पैतृक संपत्ति है। जो दौराने सैटिलमेंट साविक खसरा नम्बर 44 रकवा 01 बीघा 18 विस्वा व 45 रकवा 01 बीघा 18 विस्वा किता 2 रकवा 3 बीघा 16 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 55/0.50 बनाया गया है जो कि साविक रकवा के मुताबिक 0.11 है0 हाल राजस्व रिकार्ड कम दर्ज किया है और प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 11 के रकवे में मिला दिया गया जबकि प्रतिवादीगण का हाल नंम्बर 36/1.22 साविक खसरा नम्बर 28 रकवा 03 बीघा 16 विस्वा कायम हुआ है जिसका कुल रकवा 0.62 है0 होना चाहिये था परन्तु हाल राजस्व रिकार्ड में 1.22 है0 दर्ज कर रखा है। बन्दोबस्त कर्मियों को इस प्रकार से रकवा कम या अधिक करने का कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। रैस्पो0 द्वारा स्पेशिफिक रूप से इस तथ्य को डिनायल नहीं किया गया है। रैस्पो0 अपने पास खसरा नम्बर 28 मिन रकवा 03 बीघा 05 विस्वा का रजिस्टर्ड वयनामा बताते हैं। परन्तु उनके द्वारा वयनामा पेश नहीं किया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावे के तथ्य को नजरअन्दाज करते हुये, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी थी। परन्तु अपीलाधीन आदेश तनकीवार नहीं किया है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि यदि अपीलाण्ट का रकवा रिकार्ड के अनुरूप बन्दोबस्त विभाग ने कम किया गया है तो रकवा किस नम्बर में बढाया गया है। उक्त तथ्य को साबित करने हेतु विवादित नम्बर के चारो तरफ के नम्बरान के नक्शा व रिकार्ड की आवश्यकता होगी। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य मिलान क्षेत्रफल साविक नक्शा आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं ना ही साविक खसरा नम्बर 28 से संबंधित समस्त रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। रैस्पो0 के पास खसरा नम्बर 28 मिन रकवा 03 बीघा 05 विस्वा का रजिस्टर्ड वयनामा है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की जॉच उपरान्त निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह तो माना है कि दौराने बन्दोबस्त साविक खसरा नम्बर 44 रकवा 01 बीघा 18 विस्वा व 45 रकवा 01 बीघा 18 विस्वा किता 02 रकवा 03 बीघा 16 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 55/0.50 बनाया गया है, जो साविक के मुकाबले कम अवश्य है। परन्तु वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

यह साबित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादीगण का हाल खसरा नम्बर 36/1.22 साविक खसरा नम्बर 28 रकवा 03 बीघा 16 विस्वा कायम हुआ है। जिसका कुल रकवा 0.62 है0 होना चाहिये था। परन्तु हाल राजस्व रिकार्ड में 1.22 है0 दर्ज कर रखा है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह वादी/अपीलाण्ट को उक्त तथ्य सावित करने हेतु उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देते अथवा तहसीलदार व हल्का पटवारी से उक्त तथ्य बाबत् रिपोर्ट तलव करते। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करते हुये, वादी/अपीलाण्ट का दावा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को तय करने हेतु दावे एवं जवाव दावे के आधार पर दिनांक 28.05.2014 को दादरसी सहित छः तनकियॉ कायम की गयी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश तनकीवार नहीं है। जवकि आर्डर 20 रूल 5 सी.पी.सी. के अनुसार तनकीयात कायम होने पर प्रकरण का निस्तारण तनकीवाईज होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर कारण सहित अपना निष्कर्ष देते हुए निर्णय पारित करना चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को कानूनसम्मत नही माना जा सकता है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (सहायक कलक्टर) नगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.07.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 09.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर